IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, October 2025
Impact Factor: 7.67

छतरपुर जिले के ग्रामीण विकास में जिला पंचायत की भूमिका

डॉ. गीता द्रव
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान अध्ययन शाला एवं शोधकेन्द्र
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)

देवकी अहिरवार
शोधार्थी
राजनीति विज्ञान अध्ययन शाला एवं शोधकेन्द्र
महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)

शोध सारांश

लोकतन्त्र को समाज के निचले तबके तक पहुँचाने के लिए किये गये प्रयासों में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने सम्बन्धी पारित विधान पंचायती राज अधिनियम 1992' (73वाँ संविधान संशोधन) एक आधारभूत कदम है। अनुच्छेद 40 के तहत् किये गये प्रावधान के अनुरूप पंचायती राज को लागू करने से पहले इसके सफल संचालन हेतु समय–समय पर अनेक अध्ययन दल गठित किये जाते रहे हैं। इस समय देश में 34 लाख से अधिक पंचायती राज व्यवस्था के तहत् चुने गये सदस्य और अध्यक्ष पंचायत प्रतिनिधि सक्रिय हैं। इनमे 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रतिनिधि तथा अन्य विभिन्न वर्गों की करीब 34 प्रतिशत पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पंचायतीराज की स्थापना का उद्देश्य न केवल स्थानीय स्तर पर विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों में स्थानीय जनता का निर्णय निर्माण प्रक्रिया तथा उसके क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता प्राप्त करना है, बल्कि सत्ता एवं शक्ति के सामान्य जन तक हस्तान्तरण के माध्यम से कमजोर वर्गों, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य संवर्ग की महिलाएं सम्मिलित है, जो सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास कर शोषण मुक्त समान अवसर वाले समाज की स्थापना करना भी है।

मुख्य शब्द :– छतरपुर, ग्रामीण, विकास, पंचायत, कल्याणकारी, क्रियान्वयन जिला पंचायत की भूमिका।

प्रस्तावना :–

लोकतंत्र मूलतः विकेन्द्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था है। लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था में पंचायतीराज वह माध्यम है जो शासन को समान्य जन के दरवाजे तक लाता है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय लोगों की स्थानीय शासन कार्यो में अनवरत रूचि बनी रहती है, क्यों कि वे अपनी स्थानीय समस्याओं का स्थानीय पद्धति से समाधान कर सकते है। यद्यपि पंचायतीराज संस्थाएं सीमित मात्रा में ही संसाधन जुटा सकती है, परंतु उन्हें इसकी शक्ति प्रदान करना आवश्यक है ताकि राज्य और केन्द्र सरकार पर उनकी निर्भरता कम हो सके। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत को संविधान–प्रदत्त अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है और इसके पक्ष में माननीय न्यायालय समय–समय पर निर्देश भी जारी करता रहता है। व्यवस्था के तहत प्रत्येक ग्राम के लिए एक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत. जिला पंचायत का गठन किया गया है और प्रत्येक ग्राम के लिए ग्राम सभा होती है इस ग्राम सभा का सदस्य हर वह व्यक्ति होता है, जिसका नाम इस ग्राम की मतदान सूची में हो पंचायत की कार्य अवधि पंचायत के पहली तारीख से 5 वर्ष तक होगी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को पंचायत में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, October 2025
Impact Factor: 7.67

संवैधानिक दर्जा भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भाग 9 तथा 11वी अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधनिका दर्जा प्रदान किया गया है जिसमें ग्राम पंचायत के लिए विभिन्न विषयों का निर्धारण किया गया है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत का प्रावधान किया गया है। 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गावों में 'ग्राम पंचायत' का गठन किया गया है कुल सदस्य संख्या 10 से 20 के बीच हो सकती है व प्रत्येक 'जनपद पंचायत' 5000 की जनसंख्या पर एक 'जनपद पंचायत' के लिए निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या 10 से 25 के मध्य रहती है जिला पंचायत के लिए प्रति 50000 जनसंख्या पर एक जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया जाता है इसमें सदस्य संख्या 10 से 35 के बीच होती हैं। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात प्रदान किया जाता है पंचायतों के अध्यक्षों का निर्वाचन मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से किया जाता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से चयनित जिला पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है।

जिला पंचायत का गठन जिले के समस्त जनपद पंचायतों को मिलाकर का जिला पंचायत बनती है इसमें न्यूनतम 10 वार्ड और अधिकतम 25 वार्ड होते हैं। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा जिला पंचायत 'अध्यक्ष' एवं 'उपाध्यक्ष' का चुनाव किया जाता है। जिला पंचायत की कार्यकारी शक्तिया सरकार द्वारा नियुक्त जिला पंचायत सचिव में होता निहित होती है यह अधिकारी ''भारतीय प्रशासनिक सेवा'' का सदस्य होता है यह जिला पंचायत के निर्णयों को क्रियान्वित कर लेखा जोखा रखता है।

ग्रामीण उद्योग शहरी क्षेत्रों को पीने के लिए पानी, दूध. भोजन के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते है। पंचायती राज अधिनियम 1992 मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 को लोकसभा ने 22 दिसंबर, व राज्यसभा के द्वारा 23 दिसंबर, 1992 पारित किया गया है 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद 24 अप्रैल,1993 को लागू कर दिया और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है भारतीय संविधान के 9 में तथा 11वीं अनुसूची में (29 विषय) और कुल 16 अनुच्छेद 243 से 243 (0) तक जोड़े गए हैं मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया है।

मतदाताओं में शिक्षा व संचार माध्यमों के द्वारा जागरुकता लायी जाए और जनप्रतिनिधियों को शिक्षित व प्रशिक्षित किया जाता है। जनता को सूचना का अधिकार मिलना चाहिए मतदान अनिवार्य किया जाता है तथा मतदान नही किये जाने पर नीति आर्थिकदण्ड प्रावधान किया जाना चाहिए भ्रष्टाचार निवारक संबंधी कानूनों का कठोरता से संचालन किया जाना चाहिए पचायती राज सत्याओं को लाभकारी उद्योगों की स्थापना करने के जाना प्रत्येक गाँव के लिए, गाँव के स्तर पर एक ऐसे अधिकारों का उपयोग कर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है। पंचायतों का गठन – अनुच्छेद 243 ग्राम पंचायत न्यू विधानमहल बना कर उपलब्ध करेगी। स्तरीय का प्रावधान करता है प्रत्येक ग्रामों में राज्य क्रिया पंचायतों को शक्ति प्रदान किया गया है। पचायतों में आरक्षण उपलब्ध कराने की प्रत्येक जनमत अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित हो जाति एवं पंचायत का कार्यालय निश्चित किया गया कि पंचायतों में निर्वाचन नियुक्त से पांच वर्ष वित्त आयोग क चुनाव कराने की संविधान में 29 विषयों का उल्लेख किया है प्रदत्त अधिकार द्वारा पंचायत के कार्य 1वीं अनुसूचि में अनुच्छेद 243 में किया गया है, 11 की अनुसूची में नगरीय स्वशान के लिए 18 विषयों में प्रस्तावित है।

शोध क्षेत्र का भौगोलिक परिचय

प्रस्तावित शोध क्षेत्र का भारत के मध्यप्रदेश राज्य में स्थित जिला ''छतरपुर'' 1956 में अस्तित्व में आया। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल 55 जिले है जिसमे से एक छतरपुर जिला है। छतरपुर में 6 विधान सभा क्षेत्र से छतरपुर में तहसीलों की संख्या 11

है बिजावर, छतरपुर, बड़मलहरा, बक्सवाहा, गौरीहार, नौगाँव, लवकुश नगर, राजनगर, चंदला, एवं महराजपुर शामिल है छतरपुर जिले में ग्राम पंचायतों की संख्या 559 है जबकि कुल ग्रामों की संख्या 1249 है। जिले में 8 जनपद पंचायते है जिनमे छतरपुर, राजनगर, नौगाँव, लवकुश नगर, गौरीहार, बिजावर, बड़ामलहरा, बक्सवाहा, है जिसमें छत्तरपुर मध्यप्रदेश राज के उत्तर पूर्वी सीमा में स्थित है।

छतरपुर 1956 में अस्तित्व में आया और छतरपुर जिला 25 डिग्री 20 मिनिट उत्तरीय अक्षांश और 78 डिग्री 59 मिनिट से 80 डिग्री 60 मिनिट पूर्वी देशांतर में स्थित है छतरपुर का क्षेत्रफल 8687 वर्ग कि.मी. क्षेत्र मे शामिल है 2011 के जनसंख्या के अनुसार कुल आबादी 1762375 जनसंख्या में मध्यप्रदेश 13वें स्थान पर है जिसमें पुरुषों की आबादी 963121 है तथा महिलाओं की संख्या 826254 है एवं लिंगानुपात 920 है। छतरपुर जिले में 559 ग्राम पंचायतें एवं कुल ग्रामों की संख्या 1249 है। छतरपुर जिले का पिन 471001 है।

उद्देश्य :

प्रस्तावित अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि ग्रामीण विकास में जिला पंचायत की क्या भूमिका है. इसमें ग्राम के लोगों को राजनैतिक जागरूकता और लोकतांत्रिक जनमत किस प्रकार तैयार करने की भूमिका निभा रहा है—

1. पूर्व में किये गये शोध का अध्ययन कर जो सामग्री छूट गयी उस पर शोध कार्य करना।
2. छतरपुर जिले के ग्रामीण विकास की पृष्ठ भूमि का अध्ययन करना।
3. छतरपुर के गाँव स्तर एवं तहसील स्तर का अध्ययन करना।।
4. भारत में ग्रामीण विकास का संवैधानिक प्रावधान वर्तमान खोज पर अध्ययन करना।
5. ग्रामीण जन संगठित हो उन्हें स्वावलम्बी एवं स्वस्थ्य करना।
6. ग्रामीण समाज के लघु एवं कुटीर उद्योगों का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं :

एक शोध कर्ता के लिए परिकल्पनाएँ एक अनिवार्य है जिसे वह हल करने का प्रयास रखता है। शोध परिकल्पनाएँ भावी कथन होती है। जो वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण किये जाने में सक्षम होते है, जो एक स्वतंत्र चर से कुछ आश्रित चरों से सम्बंधित करते है। इस शोध अध्ययन में निम्नलिखित परिकल्पनाएं है—

1. जिला पंचायत के अन्तर्गत होने वाले स्थानीय विकास कार्यों को गति मिली है।
2. स्थानीय समस्याओं के निदान की सार्थक पहल है।
3. जिला पंचायत ने समतामूलक समाजकी संरचना को स्वीकृति दी है।
4. ग्रामीण विकास को जिला पंचायत आधार भूमि प्रदान की है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

छतरपुर जिले की स्थापना 1785 में हुई थी जिले का नाम बुन्देला राजपूत महाराजा छत्रसाल के नाम पर रखा गया था जो बुन्देलखण्ड की आजादी के संस्थापक है और इसमें उनकी समाधि भी है 1785 तक राज्य पर उनके वंशजों का शासन रहा है उस समय राजपूतों के पवार वंश ने छतरपुर पर नियंत्रण कर लिया था। ब्रिटिश राज्य द्वारा 1806 में राज्य की गारंटी कुंवर सोनी

सिंह पवार को दी गई थी 1901 में छतरपुर शहर की जनसंख्या 10.029 थीं। छतरपुर नगर बन्देला केशरी महाराजा छत्रसाल द्वारा बसाया गया है इस जिले का पुरातात्विक व पर्यटन दृष्टिकोण से बहुत महत्व है क्योंकि जिले में पूरे अवशेष विखरे पड़े है। इसी जिले में जहां एक ओर 1000 वर्ष पुराने पहले चंदेल शासकों द्वारा बनवाये गये खजुराहों के प्रसिद्ध मंदिर है।

छतरपुर में शहर के भीतर और आसपास पर्यटकों को लुभाने के लिए बहुत सारे पर्यटक आकर्षण है जटाशंकर, भीमकुंड, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मंदिर उनमें से लोकप्रिय यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो मंदिर समूह छतरपुर जिला के अंतर्गत आता है जो हर साल फरवरी के महीने में विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नित्य महोत्सव की मेजबानी भी करता है।

जिला पंचायत के कार्य :

जिला पंचायत पंचायती राजव्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचे का तीसरा और अंतिम स्तर है जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुने जायेंगे जिला पंचायत में मध्यप्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 52 में जिला पंचायतों के कार्यों का उल्लेख किया गया है इन कार्यों के अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा समय समय पर नियमों के आधीन निर्देश और आदेशों का नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए जिला पंचायत को करने पड़ते हैं।

1. ग्राम पंचायतों पर जनपद पंचायतों का नियंत्रण रख उनके बीच समन्यवय स्थापित करना
2. ग्रामीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों व उनका मार्गदर्शन करना। ण
3. ग्राम पंचायतों व जनपद पंचायतों के अनुदान की मांगों को राज्य सरकार को भेजना और उन्हें प्राप्त करने में मदद करना।
4. विकास समाज कल्याण सन्बन्धी कार्यक्रमों के मामले में राज्य सरकार को सलाह देना आदि।

राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य कल्याणकारी व विकास सम्बन्धी कार्यों व कर्तव्यों का पालन करना। जिला पंचायत अधिनियम के तहत धारा 52 सरकार को यह अधिकार होगा कि वह समय–समय पर पंचायतों को नयी योजनाएं और कार्यक्रमों जैसे लघु एवं कुटीर उद्योगों के क्रियान्यवयन एवं बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु उत्तरदायित्वों को भी सौंप गया है। जिले में जिला पंचायत के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजनाएं तैयार करना और पंचायत को ऐसी योजना के समन्वय क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना। जनपद पंचायत द्वारा तैयार की गई या केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा सौंपी गई योजनाओं कार्यों और परियोजनाओं लागू करना जिला पंचायत का कार्य है। जिला पंचायत के द्वारा विकास संबंधी क्रियाकलापों, पर्यावरण के संरक्षण सामाजिक वानिकी, परिवार कल्याण, निशक्तों, निराश्रिती महिलाओं, युवाओं बालकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देने का कार्य किया गया है। जिला पंचायत के कार्यों में नियुक्त व पदस्थ कर्मचारियों का प्रशासन तथा उनका नियंत्रण पर ध्यान आकृष्ट कराना है। जिला पंचायत के द्वारा ऐसी अन्य शक्तियों और कार्यों का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की जाय। ग्राम पंचायत में अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से गाँव में विकास कार्यों को संचालित करती है जैसे नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण एवं कार्य समिति, जल कार्य समिति समेत अनेक समितियां होती है जो ग्रामीण विकास से जुड़े हुए मुद्दों की देख–रेख करते हैं।

साहित्य :–

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लोगों के जीवन स्तर में भौतिक स्तर पर सकारात्मक तथा व्यवस्थित परिवर्तन होते है। जिला पंचायत के संदर्भ में सीमित अकादमिक शोध किया गया है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को तीन स्तरों में विकेन्द्रीकरण किया

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 5, Issue 1, October 2025 Impact Factor: 7.67

गया है जिसमें ग्राम पंचागत जन पंचायत व जिला पंचायत है जिसमें लोगों को प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, ग्राम स्वराज योजना, राष्ट्रीय सुरक्षा योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्सन, शिक्षित व बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता की भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि समस्त लोगों को रोजगार की व्यवस्था करें। पंचायती राज व्यवस्था ने मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रस्तावित शोध शीर्षक के हालिया और दूसरे जिला पंचायत के द्वारा ग्राम स्तर किस प्रकार योजनाओं का क्रियान्यवयन किया जा रहा है। प्रस्तावित शोध के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि तैयार करने और इस अध्ययन को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए कई शोधकार्यों की समीक्षा की गयी है। ग्रामीण विकास में जिला पंचायत से सम्बन्धित शोधकार्य किये गये हैं।

उपाध्याय रामकिशोर 2016 :– ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका शोध पत्र में भारत एक ग्राम प्रधान देश है जहां देश की कुल जनसंख्या का लगभग दो तिहाई भाग गाँव में निवास करता है। भारतीय गाँव की पहचान है कृषि आधारित आर्थिक, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि के आधार पर की जा रही। यह वह समस्याऐं है जो गाँव के लोगों को अपने मूल निवास स्थानों को छोड़ने एवं नगरों में पलायन करने के लिए विवश करते रहते हैं। शोध पत्र भारतीय ग्रामीण समाज का सैद्धांतिक अध्ययन है तथा ग्रामीण विकास में पंचायती राज के योगदान को प्रतिबिंबित करता है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि पंचायती राज व्यवस्था ने भारत में ग्रामीण विकास को आप्रत्यासित गति प्रदान की है।

कुमार डॉ. संजय (2017):—इन्होंने अपने शोध पत्र में भारतीय समाज के ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका का विश्लेषण पर शोध पत्र प्रकाशित किया है भारतीय समाज एक ऐसा समुदाय जो निश्चित संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। इस प्रकार ग्रामीण यह व्यूह रचना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके गाँवों का सर्वागीण विकास किया जाता है। ग्रामीण विकास सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय स्तर को उच्च कर जीवन स्तर में सुधार करना तथा उनके समाजि, आर्थिक, राजनैतिक व्यवहार में मात्रात्मक एवं रागात्मक परिवर्तन लाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब तबके के कम आय वाले लोगों की आय तथा जीवन स्तर में वृद्धि करके उनकी जीवन प्रक्रिया को आत्मपोषक बनाने की विधि को ही ग्रामीण कहते है।

पाण्डे सचिन कुमार (2022):—इन्होंने अपने शोध कार्य में ग्रामीण विकास में जिला पंचायत की भूमिका सतना जिले के विशेष संदर्भ में शोध आलेख को एकत्रित किया गया है. दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो भारत के गाँव में है सच्चाई, भोलापन, मानवता, सामूहिक संगठनात्मक एकता, दूसरों के प्रति दया, पर्यावरण और प्रकृति के साथ सामंजस्य आदि आदर्श कल्पनाऐं है भारत में जनसंख्या का 80 प्रतिशत गाँव में निवास करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से लेकर रामराज की सारी परिकल्पनाऐं सम्भव हो सकती है। शोधार्थी ने ग्रामीण विकास को लक्ष्य मानकर ही यह शोध शीर्षक ग्रामीण विकास में जिला पंचायत की भूमिका को चुना है।

शोध प्रविधि :–

प्रस्तावित शोध कार्य क्षेत्रीय कार्य पर आधारित है इसलिए शोध कार्य में शोध की प्रविधि ऐतिहासिक तथा विवरणत्मक, अवलोकन तथा निदर्शन विधि का उपयोग किया गया है। साथ ही शोध में से संबंधित आकड़ों का संकलन करने के लिए साक्षात्कार, अनुसूचित पद्धति का प्रयोग भी किया गया है। तत्व या आकड़ों का संकलन कर अध्ययन को वैज्ञानिक बनने हेतु प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोतों से सूचनाओ व तत्वों को एकत्रित किया गया है ताकि शोध में एक नवीन खोज या तथ्य की प्रस्तुत किया जा सके द्वितीय स्रोतों के रूप में जिला पंचायत के गजेटियर से विषय सामग्री प्राप्त की गई है—छतरपुर जिला पंचायत किस प्रकार कार्य निष्पादन करता है पंचायती राज अधिनियम से सबंधित दस्तावेज विभिन्न समितियां उपयोग के प्रतिवेदन पुस्तके और अप्रकाशित

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, October 2025
Impact Factor: 7.67

तथा अन्य लिखित रूप से प्राप्त या उपलब्ध सामग्री को द्वितीयक स्रोत के रूप में उपयोग किया गया है ताकि अपने शोध कार्य को तथ्यात्मक रूप से प्रभावशाली बनाया जा सके।

प्राथमिक आंकड़े :– वह आकड़े है जिन्हें हम स्वयं शोध क्षेत्र में जाकर एकत्रित करते हैं, प्राथमिक आँकड़े कहलाते हैं जिनमें साक्षात्कार प्रश्नावली, अनुसूची तैयार कर की गई है। द्वितीयक आंकड़े यह वह आकड़े होते हैं पहले से उपलब्ध होते है जैसे सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी लेखों द्वारा प्राप्त होते। अध्ययन के प्राथमिक स्रोत के रूप में 70 उत्तरदाताओं का न्यायदर्श के रूप में चयन किया गया है।

प्रस्तुत शोध कार्य में ग्रामीण स्तर पर जिला पंचायत के शैक्षणिक स्तर का और ग्राम में कृषि भूमि विकास एवं लघु पालन, एवं मछली पालन, बानकी खादी गरीबी उत्सर्जन लगाना है शिक्षा समिति, प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्ष कार्यो का अध्ययन कर उपयुक्त सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त लोगों के स्वास्थ्य परिवार समिति द्वारा सरकार समान अथवा विशेष देशों के द्वारा शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना। इनके परिणामा का अध्ययन कर जिला पंचायत में स्थिति का उचित सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं–

तालिका क्रमांक 1

जिला पंचायत से विकास कार्यों को गतिशीलता

म	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	गतिशीलता आई है	45	64.29
2.	गतिशीलता नहीं आई है	20	28.57
3.	पता नहीं	5	7.14
	योग	**70**	**100.00**

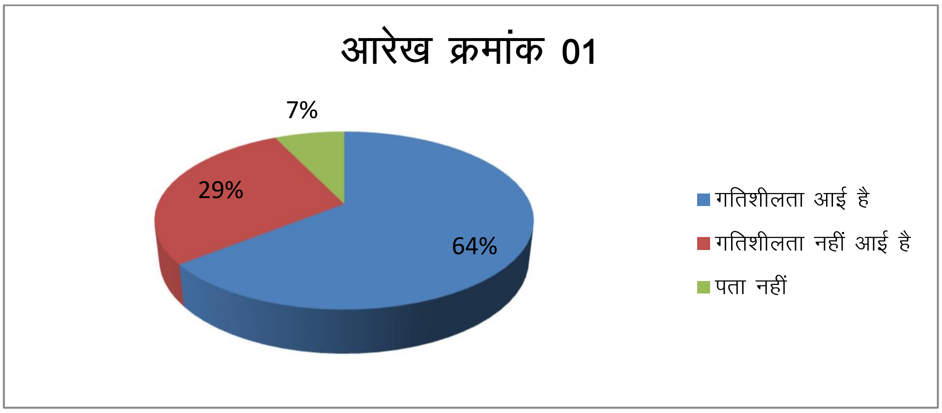

उक्त तालिका के ज्ञात होता है कि जिला पंचायत से विकास कार्यों को गतिशीलता के प्रति स्थानीय लोगों से साक्षात्कार करने पर अवगत होता है कि 45(64.29 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने जिला पंचायत से विकास कार्यों के प्रति गतिशीलता मिली है, 20(28.57 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने जिला पंचायत से विकास कार्यों के प्रति गतिशीलता नहीं मिली है जबकि 5(7.14 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने जिला पंचायत से विकास कार्यों के प्रति अनिभिग्ता बताई कि मुझे पता नहीं है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 45(64.29 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने जिला पंचायत से विकास कार्यों के प्रति गतिशीलता मिली है। जिला पंचायत से विकास कार्यों को गति मिली है जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों के आने जाने के रास्ते, पेय जल, स्वच्छता तथा रोजगारोन्मुखी कार्यों का क्रियान्वयन होने से ग्रामीण रहवासियों के जीवन–स्तर में साकारात्मक सुधार हुआ है।

तालिका क्रमांक 02

स्थानीय समस्याओं के निदान में जिला पंचायत का योगदान

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	योगदान हुआ है	49	70.00
2.	योगदान नहीं हुआ है	16	22.86
3.	पता नहीं	5	7.14
	योग	70	100.00

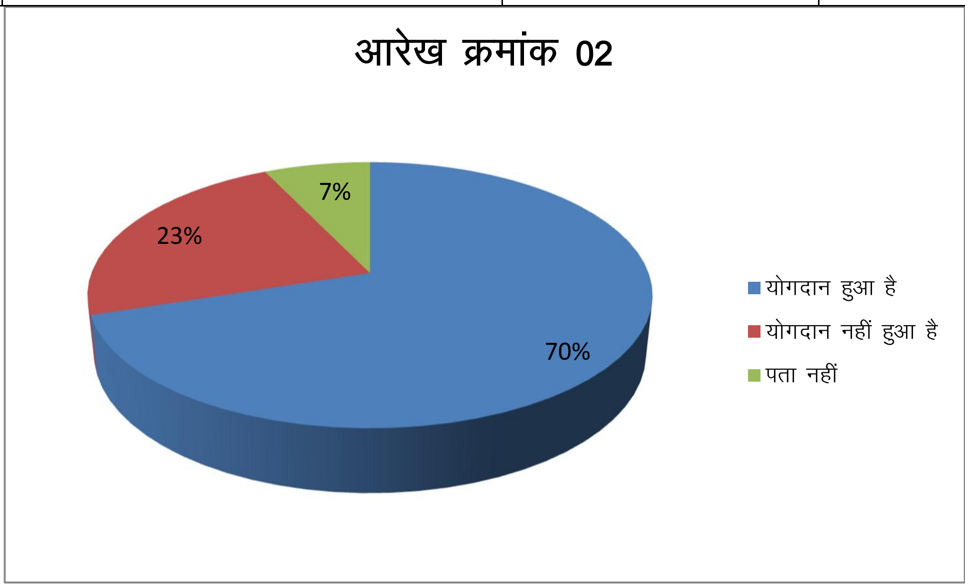

उक्त तालिका के ज्ञात होता है कि स्थानीय समस्याओं के निदान में जिला पंचायत का योगदान के प्रति स्थानीय लोगों से साक्षात्कार करने पर अवगत होता है कि 49(70.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्थानीय समस्याओं के निदान के प्रति जिला पंचायत का योगदान रहा है, 16(22.86 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्थानीय समस्याओं के निदान के प्रति जिला पंचायत का योगदान नहीं रहा है, जबकि 5(7.14 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्थानीय समस्याओं के निदान के प्रति उन्हें कुछ पता नहीं है।,

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 49(70.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्थानीय समस्याओं के निदान के लिए जिला पंचायत का योगदान रहा है, स्थानीय समस्याओं के निदान में जिला पंचायत का योगदान रहा जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों के आने जाने के रास्ते, पेय जल, स्वच्छता, शिक्षा तथा रोजगारोन्मुखी कार्यों का क्रियान्वयन होने से ग्रामीण रहवासियों के जीवन शैली में सुधार हुआ है बच्चों के पढ़ने लिखने और घरेलू समस्याओं का निदान हुआ है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, October 2025
Impact Factor: 7.67

तालिका क्रमांक 03

समतामूलक समाज की संरचना में जिला पंचायत की भूमिका

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	भूमिका रही है	54	77.14
2.	भूमिका नहीं रही है	12	17.14
3.	पता नहीं	4	5.72
	योग	70	100.00

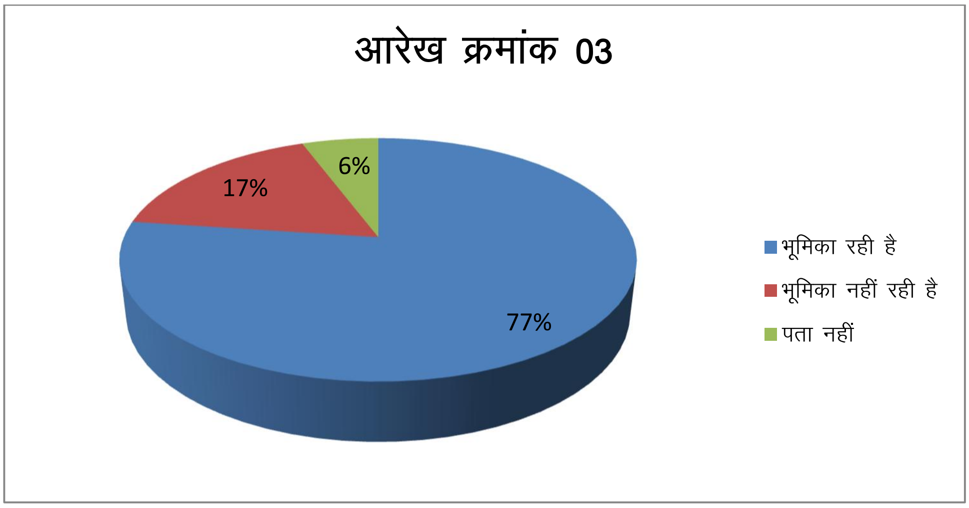

उक्त तालिका के ज्ञात होता है कि समतामूलक समाज की संरचना में जिला पंचायत की भूमिका के प्रति स्थानीय लोगों से साक्षात्कार करने पर अवगत होता है कि 54(77.14 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने समतामूलक समाज की संरचना प्रति जिला पंचायत की भूमिका रही है, 12(17.14 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने समतामूलक समाज की संरचना प्रति जिला पंचायत की भूमिका नहीं रही है, जबकि 4(5.72 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने समतामूलक समाज की संरचना के प्रति जिला पंचायत की भूमिका के विषय में कोई जानकारी नहीं रही है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सर्वाधिक 54(77.14 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने समतामूलक समाज की संरचना प्रति जिला पंचायत की भूमिका रही है, इसके पीछे मुख्य कारण है कि समतामूलक समाज की अवधारणा के विषय में जैसे–जैसे लोगों में जागरूकता में बृद्धि हो रही है तो वे अपने परिवार के प्रति सजग होकर रोजगारोन्मुखी कार्यों से जुड़कर बेहतर कार्य करने के प्रति सजग रहते हैं साथ ही अपने साथ कमजोर व्यक्तियों को भी कार्य के प्रति प्रोत्साहित कर उन्हें भी अच्छी जीवन शैली के साथ–साथ उनके रहन सहन में सुधार हुआ है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रोजगार से नवाचारी योजनाओं से जुड़कर अपने और अपने परिवार की देख–रेख आसानी से कर रहे हैं। अतएव जिला पंचायत से यह तथ्य निकलकर सामने आता है जिससे लोगों के जीवन शैली में लगतातार सुधार हो रहा है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, October 2025
Impact Factor: 7.67

तालिका क्रमांक 04

ग्रामीण विकास को जिला पंचायत से आधार भूमिका मिली

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	आधार भूमिका रही है	52	74.28
2.	आधार भूमिका नहीं रही है	14	20.00
3.	पता नहीं	4	5.72
	योग	70	100.00

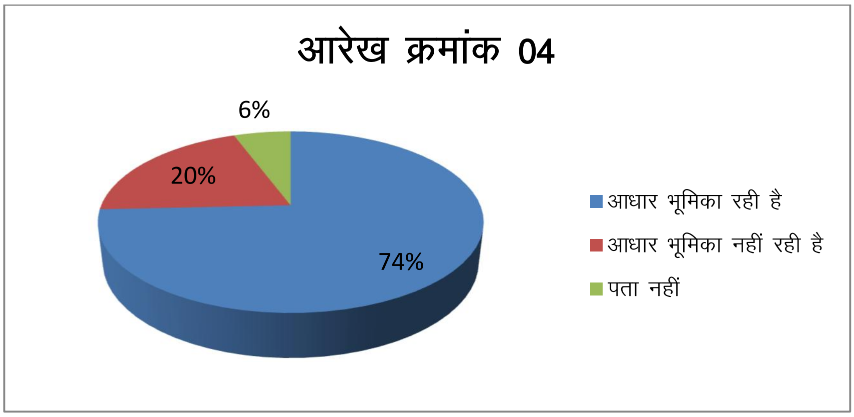

उक्त तालिका के ज्ञात होता है कि ग्रामीण विकास को जिला पंचायत से आधार भूमिका के प्रति स्थानीय लोगों से साक्षात्कार करने पर अवगत होता है कि 52(74.28 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने ग्रामीण विकास को जिला पंचायत से आधार भूमिका मिली है, 14(20.00 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने ग्रामीण विकास को जिला पंचायत से आधार भूमिका नहीं मिली है जबकि 4(5.72 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने ग्रामीण विकास को जिला पंचायत से आधार भूमिका मिली है के विषय में कोई जानकारी नहीं रही है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ''सर्वाधिक 52(74.28 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने ग्रामीण विकास को जिला पंचायत से आधार भूमिका रहती है, इसके पीछे मुख्य कारण है कि जिला पंचायत से आधार भूमिका के विषय में धारणा रही है कि जिला पंचायत के माध्यम से कई प्रकार के रोजगारोन्मुखी कार्यों से जुड़कर बेहतर कार्य करने के अवसर प्राप्त हुए हैं जिससे लोगों की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिला है साथ ही साथ खाद्यान्न दीनदयाल अन्न योजना के माध्यम से लोगों को गेहूँ, चावल, दालें एवं नमक जैसे जीवन के जीने के लिए आवश्यक माना जाता है तो लोगों के उदर पोषण की व्यवस्थाएवं भी जिला पंचायत के माध्यम से प्रत्येक गरीब परिवारों को मुहैया कराया जा रहा है। इससे लोगों के जीवन शैली में वर्तमान परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिला है और अपने परिवारों को अच्छे ढंग से रहने व आधुनिक जीवन शैली में अपना जीवन खुशहाली से बिता रहे हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ लोगों के जीवन शैली में निरंतर सुधार देखने को मिला है वर्तमान में सरकार उनके साथ मिलकर कार्य कर रही है और विकास कार्यों को स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की भरसक प्रयास किया जा रहा है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 5, Issue 1, October 2025
Impact Factor: 7.67

सुझाव :

1. ग्रामीण जीवन में व्याप्त निर्धनता को समाप्त करने का प्रयास करते हुए योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को पंचायतों के पदों प प्रतिष्ठित करने का उपक्रम किया जाना चाहिए।
2. सामाजिक कल्याण व स्वास्थ्य सुविधाएं, पुस्तकालय, दुग्ध संग्रह केन्द्र, पाठशाला, कुक्कुट कुटीर उद्योगों तथा सबिन्धित कार्यों का पता करने के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धित कार्यों की अपेक्षा सर्वसम्मति से महत्व प्रदान किया जाय।
3. पंचायतों के कार्यों की देखभाल करने के लिए जिला पंचायत द्वारा निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए और उन्हें पर्याप्त साधन प्रदान किये जाएँ।
4. पंचायत के जनमूलक कायों का प्रचार किया जाए ऐसा करने से लोग पंचायतों के महत्व को समझेंगे और पंचायत के कार्यों में क्रियाशील सदस्यों के रूप में भाग लेंगे।
5. राजनैतिक दलों के सदस्य ग्राम पंचायतों को अपनी राजनीति का अखाड़ा न बनाऐं ऐसा प्रयास किया जाए, कि पंचायत राजनैतिक दलों से दूर रहे जिला पंचायत के देख–रेख में कार्य योजना संचालित करें।

संदर्भ स्रोत :–

1. त्रिपाठी, धनंजय : (2007) उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत की भूमिका देवरिया जनपद के विशेष संदर्भ में।
2. उपाध्याय, रामकिशोर : (चतपस, 2016) ''ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका शोध पत्र।
3. कुमार, डॉ. संजय : (मार्च 2017) ''भारतीय समाज के ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका का विश्लेषण'' शोध पत्र ।
4. पांडे, आशीष कुमार : (6 नवम्बर 2017)' ग्रामीण विकास में क्षेत्र सिकरारा क्षेत्र पंचायत का अध्ययन।
5. श्रीवास्तव, ब्रह्मस्वरूप : (13 नवंबर 2017ल ष्ग्रामीण विकास में संचार साधनों की भूमिका गाजीपुर जनपद के जखनिया क्षेत्र पंचायत पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन।
6. पटेरिया, शिव अनुराग (2017) ''मध्य प्रदेश अतीत और आज'', मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी रविंद्र नाथ ठाकुर मार्ग, वाणगंगा, भोपाल मध्य प्रदेश।
7. योजना वर्ष 2024, 2025 के विभिन्न अंक।
8. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका वर्ष 2024, 2025 के विभिन्न अंक।